

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड II में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/49/2018-अ.भा.से.-I

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: 14 फरवरी, 2019

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा तमिलनाडु सरकार और गृह मंत्रालय की सहमति से केंद्र सरकार एतद्वारा सुश्री अंकिता मिश्रा, आई.ए.एस. (तमिलनाडु:2018) का विवाह श्री अक्षत कौशल, आई.पी.एस. (ए.जी.एम.यू.टी:2018) से होने के आधार पर उनका स्थानांतरण तमिलनाडु संवर्ग से ए.जी.एम.यू.टी. संवर्ग में करती है।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष नं. 23094142

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मिन्टो रोड,

नई दिल्ली-110002